FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर

.... बनाम ....चौथमल....

....जागीर.................................. नं. ....

किस्म मुकदमा ....दावा.................... 4/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
16.01.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
04 / 2022	2022 / 24	12.01.2022	16.01.2024 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. महावीर पुत्र मोतीराम उम्र 56 साल
2. रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम उम्र 60 साल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण हेलीवाली ढ़ाणी तन् ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)।

––वादीगण––

बनाम्

1. चौथमल पुत्र मोतीराम उम्र 42 साल
2. अनिता पुत्री बनवारीलाल उम्र 35 साल
3. राजेश कुमार पुत्र बनवारीलाल उम्र 40 साल
4. लक्ष्मी देवी पत्नी बनवारीलाल उम्र 75 साल
5. श्रवणी देवी पत्नी बनवारीलाल
6. सुनीता पुत्री बनवारीलाल उम्र 50 साल
7. सरोजी देवी पुत्री बनवारीलाल उम्र 38 साल
8. बलदेवी पुत्र मोतीराम उम्र 58 साल
9. रूडमल पुत्र भूराराम उम्र 70 साल
10. ग्यारसीलाल पुत्र मांगीलाल उम्र [illegible] साल
11. गीता देवी पुत्नी मांगीलाल उम्र 75 साल
12. दामोदर प्रसाद पुत्र मांगीलाल उम्र 37 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

13. माया देवी पुत्री मांगीलाल उम्र 35 साल

14. मोहनी देवी पुत्री मांगीलाल उम्र 55 साल

15. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मांगीलाल उम्र 52 साल

16. सज्जन कुमार पुत्र मांगीलाल उम्र 34 साल

जाति ब्राह्मण निवासीगण हेलीवाली ढाणी तन ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

17. गुलाबी देवी पत्नी रिछपाल उर्फ शिशपाल उम्र 50 साल

18. प्रहलाद उम्र 58 साल

19. मदन उम्र 55 साल

20. औमप्रकाश उम्र 53 साल

पुत्रगण स्व0 गोपीराम

21. गौरीशंकर पुत्र भजनाराम उम्र 55 साल

22. नानूराम पुत्र भजनाराम उम्र 75 साल

23. पप्पूराम पुत्र लिछमण उम्र 40 साल

24. प्रभाती देवी पत्नी नाराना उम्र 80 साल

25. बजरंगलाल पुत्र लिछमण उम्र 58 साल

26. बलदेव पुत्र भजनाराम उम्र 57 साल

27. धर्मेन्द्र पुत्र बनवारी

28. राजेन्द्र पुत्र लिछमण उम्र 40 साल

29. विनोद उम्र 38 साल

30. चिरंजीलाल उम्र 35 साल

पुत्रगण स्व0 रामनिवास

31. मनोज उम्र 32 साल

32. राकेश उम्र 30 साल

पुत्रगण स्व0 लिछमण

33. शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ उम्र 42 साल

34. सागरमल पुत्र भजनाराम उम्र 60 साल

35. सांवरमल पुत्र जगन्नाथ उम्र 60 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

36 सीताराम पुत्र जगन्नाथ उम्र 58 साल

37 अनुराम उम्र 40 साल

38 मक्खनलाल उम्र 42 साल

39 श्यामलाल उम्र 48 साल

40 हीरालाल उम्र 45 साल

पुत्रगण स्व0 सुणाराम पौत्रगण हरनाथ

41. महेश कुमार दत्तक पुत्र दाफली पत्नी बोदूराम उम्र 45 साल जाति ब्राह्मण निवासीगण हेलीवाली ढाणी तन ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

42. मैनेजर एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0 शाखा श्रीमाधोपुर

43. मैनेजर आई0डी0बी0आई0 बैंक लि0 शाखा भारणी

44. मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा श्रीमाधोपुर

45. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मउ

46. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीमाधोपुर

47. मैनेजर बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नाथूसर

48. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री राजेन्द्र बाजिया/कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री हरिप्रसाद गुप्ता/श्री गिरीराज शर्मा/रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से अभिभाषक।
श्री रघुनाथ सिंह, एड0 प्रतिवादी संख्या 42 की ओर से अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 26 की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:56 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत ईस्तकरार हक व बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 88, 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि तन् ग्राम नावलाई पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 206, 215, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251 कुल किता–12 कुल रकबा 2.9200 है0 एव कृषि भूमि खसरा नम्बर 112/1010, 114 कुल किता–2 कुल रकबा 1.5800 है0 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 210, 211, 212, 213, 317, 318 कुल किता 6 कुल रकबा 1.6400 है0 एवं खसरा नम्बर 135, 136 कुल किता–2 कुल रकबा 0.7000 है0 एवं खसरा नम्बर 119, 120 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7900 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 121 रकबा 0.2600 हैक्टर, एवं खसरा नम्बर 123, 126, 129, 130, 131, 163 कुल किता–6 कुल रकबा 2.7200 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 133, 134, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 174, 175, 198/2 कुल किता–12 कुल रकबा 7.1300 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 एवं प्रतिवादी संख्या 17 ता 41 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या–17 ता 41 का नाम गलत रूप से दर्ज चला आ रहा हैं। यहां यह महत्वूपर्ण तथ्य उल्लेखनीय है एवं वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी संख्या 17 ता 41 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में अन्य कृर्षि भूमि खसरा नम्बरान आये हुये है तथा प्रतिवादी संख्या 17 ता 41 के नाम उनके हक हिससा व कब्जा काश्त में आयी हुयी भूमि खसरा नम्बरान की बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर में दावा उनवानी रामनिवास बनाम नानूराम वगैरह दावा बाबत ईस्तकरार हक, बंटवारा, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 81/2009 में निर्णय डिकी दिनांक 8.12.2009 पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के अनुसार पारित [illegible] हो चुकी है परन्तु वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] नम्बरान उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 17 ता 41 [illegible] से रह गया हैं। प्रतिवादी संख्या 17 ता 41 का कृषि भूमि खसरा नम्बरान वर्णित भूमि से कोई संबंध या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सरोकार नही हैं। उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 मौके पर बाहमी बंटवारा के अनुसार अलग-अलग सीव डोल कायम कर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 17 ता 41 का नाम हजफ किया जाकर डकत भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 अकेलो को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त वर्णित भूमियां का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के मध्य मौके के कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारा के अनुसार विधिक तकास्मा करवाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 को अलग-अलग खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किश्म का नहीं हैं। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार भूमियों की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम दर्ज करवाने एवं भूमि का मौके के कब्जा काश्त व कदीमी बाहमी बंटवारा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 ता 16 के मध्य विधिक तकास्मा करवाकर अलग-अलग खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहा तो दिनांक 20.06.2021 को इन्कार हो गये एवं वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी देने पर वादपत्र वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे कि ईस्तकरार हक इस अमर का फरमाया जावे कि तन् ग्राम नावलाई पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 206, 215, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251 कुल किता-12 कुल रकबा 2.9200 है0 एव कृषि भूमि खसरा नम्बर 112/1010, 114 कुल किता-2 कुल रकबा 1.5800 है0 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 210, 211, 212, 213, 317, 318 कुल किता 6 कुल रकबा 1.6400 है0 एवं खसरा नम्बर 135, 136 कुल किता-2 [illegible] रकबा 0.7000 है0 एवं खसरा नम्बर 119, 120 कुल किता 2 कुल रकबा [illegible] है0 एवं खसरा नम्बर 121 रकबा 0.2600 हैक्टर, एवं खसरा नम्बर 123, 126, 129, [illegible]0, 131, 163 कुल किता-6 कुल रकबा 2.7200 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 133, 134, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 174, 175, 198/2 कुल किता-12 कुल रकबा 7.1300 हैक्टर की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
16/01/[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (नीमकाथाना)

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 एवं प्रतिवादी संख्या 17 ता 41 के नाम एवं मृतक गोपीराम पुत्र नन्दाराम, मृतका चौथी पत्नी [illegible], मृतका मु0 अणची पत्नी मंगला, मृतक रामनिवास पुत्र भजनाराम, मृतक [illegible] पुत्र भजनाराम, मृतक हरनाथ पुत्र नन्दाराम का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 अकेलो को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे कि तन् ग्राम नवालाई पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 206, 215, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251 कुल किता–12 कुल रकबा 2.9200 है0 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 112/1010, 114 कुल किता–2 कुल रकबा 1.5800 है0 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 210, 211, 212, 213, 317, 318 कुल किता 6 कुल रकबा 1.6400 है0 एवं खसरा नम्बर 135, 136 कुल किता–2 कुल रकबा 0.7000 है0 एवं खसरा नम्बर 119, 120 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7900 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 121 रकबा 0.2600 हैक्टर, एवं खसरा नम्बर 123, 126, 129, 130, 131, 163 कुल किता–6 कुल रकबा 2.7200 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 133, 134, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 174, 175, 198/2 कुल किता–12 कुल रकबा 7.1300 हैक्टर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के मध्य मौके के कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारा के अनुसार विधिक तकास्मा करवाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के मध्य विधिक तकास्मा करवाया जाकर वादीगण को उसकी हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का पक्षकारान् के मध्य विधिवत बंटवारा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम उपरोक्त भूमियो का बंटवारा अनुसार अलग से बट्टा नम्बर डाले जाकर नक्शे मे तरमीम करायी जाकर लगान भी अलग कायम किया जाकर अलग–अलग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वाद वास्ते घोषणा, बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

इस पर [illegible] रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी नम्बर 8 की ओर श्री हरिप्रसाद गुप्ता/गिरीराज शर्मा/रघुनाथ सिंह शेखावत एड0 व

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रतिवादी संख्या से 42 की ओर से श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एड0 उपस्थित आये एंव जवाब दावे पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 10, 16 ता 26 व 28 ता 41, 43 ता 48 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी सख्या 10, 16 ता 26 व 28 ता 41, 43 ता 48 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। जिसमें उपस्थित वादीगण संख्या 1 व 2 की पहचान वादीगण वकील श्री राजेन्द्र कुमार बाजिया एड0 ने एवं उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7, 9, 11 लगायत 15 व 27 की पहचान श्री रमेश कुमार एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढकर सुनाये जाने तथा पक्षकारान के द्वारा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रस्तुत जवाब दावें में प्रार्थी/प्रतिवादी का नाम में संशोधन बाबत पेश कियां जिसकी नकल वकील वादीगण को दिलाई जाने पर "No Objection" होना प्रार्थना पत्र पर अंकित किया। वकील वादीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रकरण में वकील वादीगण ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 16 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 16 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅगवाये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रारम्भिक डिकी जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने प्रकरण में प्रतिवादीगण [illegible] काबिज अनुसार परन्तु प्रतिवादी संख्या 8 का मकान [illegible] प्रारम्भिक डिकी जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति [illegible] उभय पक्षकारान् ने पत्रावली की आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित किये। वकुलाय उभय पक्षकारान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के निवेदन पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅंगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है।

वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅंगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26.05.2023 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 2077/रीडर/2023 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 1759/भू.अ./2023 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है। प्रकरण में शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7, 9, 11 लगायत 15 व 27 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा लिये जाने से एंव अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील वादीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। जिस पर उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 9 व 27 ने भी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया।

वही प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र एतराज प्रारम्भिक डिक्री पेश कर प्रार्थी का कब्जा जिस प्रकार से मौके पर हैं। उसके अनुसार पारित प्रारम्भिक डिक्री की रिपोर्ट न होकर गलत रिपोर्ट पेश की है अर्थात प्रार्थी के कब्जे में भूमि खसरा नम्बर 131/2 रकबा 0.24 हैक्टर दर्शाया गया है जो सही हैं तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 135/2 में प्रार्थी का कब्जा 405 वर्गमीटर पर हैं किन्तु प्रारम्भिक डिक्री रिपोर्ट मे केवल 0.0375 हैक्टर दर्शाया गया हैं जो गलत हैं तथा इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:31:55 IST
Reason: SelfAttested

120 / 2 मे प्रार्थी का कब्जा 0.17 एयर पर है किन्तु प्रारम्भिक डिकी रिपोर्ट में गलत रूप से 0.1100 एयर ही दिखाया गया है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 210 / 2 में प्रार्थी का कब्जा 0.2050 हैक्टर दिखाया गया हैं किन्तु इस नाप में प्रार्थी के बाड़े मे बने मकान शामिल कर दिये जबकि वर्ष 1992 में हुए भाई बंटवारे में प्रार्थी का बाड़ा जो 450 वर्गमीटर हैं को छोडकर बंटवारा किया गया था। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 318 / 2 में प्रार्थी का कब्जा मात्र 0.2850 हैक्टर पर ही बताया है जबकि प्रार्थी के कब्जे में 0.3300 हैक्टर और उसी अनुसार होनी चाहिए तथा इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 161 / 4 में प्रार्थी का कब्जा 0.2200 हैक्टर पर प्रार्थी का कब्जा दिखाया है जबकि प्रार्थी के कब्जे में 0.1700 हैक्टर ही हैं तथा इसमें रास्ता की भूमि प्रार्थी ने ग्यारसी लाल, दामोदर प्रसाद, सज्जन कुमार, राजेन्द्र प्रसाद को दी हुई हैं किन्तु प्रारम्भिक डिकी की रिपोर्ट में रास्ता नही दिखाया गया हैं जो गलत हैं। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 121 में प्रार्थी का कब्जा 0.2600 हैक्टर पर दिखाया गया है जबकि प्रार्थी का कब्जा 0.1500 हैक्टर पर ही हैं। साथ ही यह खसरा नम्बर दीगर के नाम हैं जिसकी सहमति उक्त खातेदारान के द्वारा नही दी गई हैं। इस प्रकार प्रारम्भिक डिकी रिपोर्ट में हिस्सानुसार बनने वाले रकबा की खानापूर्ति की गई जो गलत हैं। वकील प्रतिवादी ने एतराज प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व में प्रस्तुत प्रारम्भिक डिकी रिपोर्ट दिनांक 17.07.2023 को निरस्त कर प्रार्थी की उपस्थिति में प्रारम्भिक डिकी रिपोर्ट पुनः मंगवाने का निवेदन अपने द्वारा पेश अपने प्रार्थना पत्र में किया गया हैं। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वकील वादीगण को दी जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रत्युतर में वकील वादीगण ने जवाब एतराज प्रारम्भिक डिकी पेश कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रारम्भिक डिकी में मौके पर वास्तविक कब्जे अनुसार ही वास्तविक व सही रूप से मौके पर आये हुये खसरा नम्बरान पर वास्तविक हक हिस्से व कब्जे अनुसार ही प्रारम्भिक डिकी का प्रस्ताव भिजवाया गया हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का एतराज उक्त एतराजकर्ता [illegible] उल्लेखनीय है कि उक्त व्यक्ति बलदेवराम द्वारा [illegible] कब्जे काश्त अनुसार प्रारम्भिक डिकी जारी करने [illegible] होना दर्ज कर अपने हस्ताक्षर किये गये हैं। उक्तनुसार ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा सभी दर्ज पक्षकारान के अलग–अलग मौके पर कब्जा काश्त अनसार ही बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उक्त बंटवारा प्रस्ताव के क्रम संख्या 7 पर बलदेव में कुल रकबा 1.3575 हैक्टर व महावीर के 1.3525 हैक्टर व चौथमल में 1.3900 हैक्टर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ही वास्तविक व वैधानिक रूप से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया गया हैं। अब उक्त एतराज कतई मात्र प्रकरण हाजा में केवल मात्र देरी करने की बदनियति से वशीभूत होकर उक्त प्रार्थना पत्र कतई गलत, बनावटी व निराधार रूप से प्रस्तुत किया गया है। वकील वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र बाबत एतराज प्रारम्भिक डिक्री प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतराज प्रारम्भिक डिक्री पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् की सुनी गई। हमने वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। बहस उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव में पक्षकारान् के हक हिस्से व कब्जा काश्त अनुसार ही मौके पर जाकर वास्तविक व वैधानिक रूप से बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जाना प्रकट होता है। यदि प्रतिवादी संख्या 8 को उक्त बंटवारा प्रस्ताव से आपत्ति होती तो वो तत्काल उसी समय भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तैयार किये जा रहे विधिक विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत कर सही रूप से विधिक विभाजन प्रस्ताव बनवा सकता था लेकिन प्रतिवादी संख्या 8 के द्वारा ऐसी कोई आपत्ति वरवक्त मौका निरीक्षण के दौरान भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष नहीं उठाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रतिवादीगण संख्या 8 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत एतराज प्रारम्भिक डिक्री न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

वकील वादीगण ने प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7, 9, 11 लगायत 15 व 27 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा लिये जाने एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील वादीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने सहमत होते हुए उसके अनुसार वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

:: कियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बावत ईरतकरार हक व बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार जरिये पत्रांक 1759/भू.अ./23 दिनांक 03.10.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	अनिता देवी, सुनीता देवी, सरोज देवी पुत्रियां बनवारी, लक्ष्मी	128 130 163	0.2700 0.5100 0.6900	बंजड़–1 बंजड़–1 बंजड़–1	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	देवी पत्नी बनवारी, श्रवणी देवी पुत्री बनवारी, राजेश कुमार, धर्मेन्द्र पुत्रगण बनवारी जाति ब्राह्मण सा. देह	112 / 1010	0.7700	बारानी–1	
		133	0.4500	चाही–1	
		134	0.4300	चाही–1	
		158	0.6100		
		166	0.6900		
		249 / 3	0.1200		
		251 / 1	0.3450		
		215 / 3	0.2150		
		212 / 1	0.0100		
	योग खाता	किता– 12	5.11200	बारानी–3	
2	ग्यारसी लाल, दामोदर प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद, सज्जन कुमार पुत्रगण मांगीलाल, गीता देवी पत्नी मांगीलाल, मोहनी देवी, माया देवी पुत्रियां मांगीलाल जाति ब्राह्मण सा. देह	126 / 1	0.1450	बंजड़–1	
				बंजड़–1	
		129	0.4800		
		135 / 1	0.1850		
		119 / 3	0.6500	बारानी–1	
		120 / 1	0.3800	चाही–1	
		[illegible] / 1	0.2050	चाही–1	
		318 / 2	0.2850	चाही–1	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

		161 / 1	0.4400		
		161 / 3	0.2200		
		162 / 1	0.4100		
		175 / 2	0.6000		
		241 / 3	0.0300		
		248 / 2	0.1300		
	योग खाता	किता – 13	4.1600		
3.	रामेश्वर पुत्र भूराराम जाति ब्राह्मण सा. देह	136 / 1	0.1650	चाही–1	
		114 / 2	0.4050	बारानी–1	
		212	0.0200	चाही–1	
		159 / 1	0.4650		
		165 / 1	0.3150		
		215 / 1	0.1075		
		251 / 2	0.1725		
		249 / 2	0.0600		
	योग खाता	किता– 8	1.7100		
4.	रूडमल पुत्र भूराराम जाति ब्राह्मण सा0 देह	[illegible]	0.1650	चाही–1	
		[illegible]	0.4050	बारानी–1	
		211	0.0300	चाही–1	
		159 / 2	0.4650		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24 (दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

		165/2	0.3150		
		215/2	0.1075		
		251/3	0.1725		
		249/1	0.0600		
	योग खाता	किता–8	1.7200		
5	महावीर पुत्र मोतीराम जाति ब्राह्मण सा0 देह	131/1	0.2400	बंजड़–1	
		135/3	0.0375	चाही–1	
		119/2	0.4000	बारानी–1	
		161/2	0.4400		
		198/2	0.2200		
		241/2	0.0150		
	योग खाता	किता–6	1.3525		
6.	चौथमल पुत्र मोतीराम जाति ब्राह्मण सा0 देह	126/2	0.1450	बंजड़–1	
		135/4	0.1100		
		119/1	0.2500	बारानी–1	
		162/2	0.4100		
		175/1	0.3300		
		248/1	0.1300		
		241 [illegible]	[illegible]0150		
	योग खाता	[illegible]	[illegible]		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

7	बलदेव पुत्र मोतीराम जाति ब्राह्मण सा0 देह	131/2	0.2400		
		135/2	0.0375		
		120/2	0.1100		
		210/2	0.2050	चाही–1	
		318/1	0.2850	चाही–1	
		161/4	0.2200		
		121	0.2600	बंजड़–1	
	योग खाता	किता–7	1.3575		
8	निम्न खाता व खसरा नंबरान के खाते साबिक जमाबंदी के अनुसार पूर्ववत यथावत रहेगें	206	0.1400		
		240	0.0400		
		242	0.0700		
		243	0.1600		
		244	0.0500		
		247	0.0700		
		250	0.4700		
		249/4	0.2400		
		213	0.4100	चाही–1	
		317	0.2000	बारानी–2	
		160	0.0700		
		17[illegible]	0.0300		
		किता–12	[illegible]9500		

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested

16/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1759/भू.अ./23 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 16/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 16/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:55 IST
Reason: SelfAttested